प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

(1) उद्देश्य:-

- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
- किसानों को कृषि कार्य में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना ।
- किसानों को नवीन / उन्नत और आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा सुनिश्चित करना ।

(2) कार्यान्वित **एजेन्सी (आईए)**

योजना का कार्यान्वयन विभिन्न अन्य एजेंसियों जैसे वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके विनियामक निकाय जैसे वित्तीय संस्थान, सरकारी विभागों - कृषि, सहकारिता, बागवानी, सांख्यिकी, राजस्व, सूचना/विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पंचायती राज आदि के समन्वय से कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएवं एफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार (जीओआई) और संबंधित राज्य के सम्पूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण के अंतर्गतचयनित बीमा कंपनियों द्वारा बहु-एजेंसी फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा |

(3) **डीएसी एवं एफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नामित/पैनलबद्धएग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ़ इंडिया (एआईसी) और अन्य निजी बीमा कंपनियाँ** अपने वित्तीय सामर्थ्य, अवसंरचना, श्रम शक्ति और विशेषज्ञता आदि के आधार पर सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि/फसल बीमा योजना में भाग लेंगी | वर्तमान में पैनल में शामिल निजी बीमा कंपनियाँ निम्न है: (1) आईसीआईसीआई-लाम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (2) एचडीएफसी-इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (3) इफ्फको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (4) चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (5) बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (6) रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (7) फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. (8) टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (9)

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (10) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.। अपने राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए बीमा कम्पनी का चयन पैनलबद्ध बीमा कम्पनियों में से किया जाएगा । इस कार्यान्वित एजेंसी का चयन नामांकित/पैनलबद्ध बीमा कंपनियों में से उनके प्रथमत: पूर्व-योग्य होने, अनुभव, , क्षेत्र में अवसंरचना की मौजूदगी और किसान एवं क्षेत्र की कवरेज जैसी सेवाओं की गुणवत्ता,पे आउट का परिणाम और उसका समय पर भुगतान, प्रचार और जागरूकता अभियान आदि के आधार पर स्वेच्छा से किया जाएगा । पूर्व अर्हता प्राप्त बीमा कंपनियों में से कार्यान्वयन एजेंसी का अंतिम चयन जिलों के कलस्टरों में सभी अधिसूचित फसलों के लिए पूर्व अर्हता प्राप्त कंपनी द्वारा उद्धृत/प्रस्तुत किए गए सबसे कम प्रीमियम के आधार पर किया जाएगा।

(4) **योजना का प्रबंधन:**

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस),मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) और नारियल ताड़ बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में पहले से लगी मौजूदा राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (एसएलसीसीसीएस), एसएलसीसीसीएस की उप समिति, जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) योजना के उचित प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी । कार्यान्वित एजेंसी योजना की एसएलसीसीसीआई और जिला स्तरीय निगरानी समिति की सक्रिय सदस्य होगी ।

(5) **बीमा इकाई :**

योजना का कार्यान्वयन '**क्षेत्र दृष्टिकोण आधार**' पर होगा अर्थात्, परिभाषित क्षेत्र के अधिसूचित फसल के व्यापक आपदाओं के लिए मान लिया जाता है कि सभी बीमित किसान, एक बीमा इकाई में एक फसल के लिए 'अधिसूचित क्षेत्र' के रूप में परिभाषित करने के लिए समान एक बड़ी सीमा तक जोखिम का सामना करना, , प्रति हेक्टेयर के समान लागत, प्रति हेक्टेयर के समतुल्य फार्म आय प्राप्त करना , तथा बीमित जोखिम में अधिसूचित क्षेत्र के फसल नुकसान के कारण समान अनुभव करना|

परिभाषित क्षेत्र (अर्थात बीमा की इकाई क्षेत्र) ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर के जो भी क्षेत्र हैं उन्हें मुख्य फसलों के नाम से जाना जाता है , तथा अन्य फसलों के लिए यह ग्राम/ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकती है|

यथासमय , बीमा इकाई अधिसूचित फसल के लिए समरूप जोखिम रूपरेखा वाले जियोफेन्सड (घेराबंदी)/ जियो मैप्ड (भौगोलिक मानचित्रित) क्षेत्र हो सकता है।

स्थानीय आपदाएं और फसल कटाई उपरांत नुकसानों के जोखिम जो परिभाषित जोखिम है, उस नुकसान आकलन के लिए बीमा इकाई व्यक्तिगत किसान के प्रभावित बीमित क्षेत्र/खेत के आधार पर होगी ।

6. **फसल एवं अधिसूचित क्षेत्र:**

6.1 **फसल:** यह योजना उन सब फसलों को कवर करती है, जिसका पिछला उपज आंकड़ा उपलब्ध हो और जो अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित मौसम के दौरान उगाया जाता है तथा जिसका अधिसूचित क्षेत्र स्तर पर उपज आकलन सामान्य फसल आकलन सर्वेक्षण (जीसीईएस) का एक हिस्सा होने के कारण फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की अपेक्षित संख्या के आधार पर उपलब्ध होगा ।

6.2 **अधिसूचित क्षेत्र:** अधिसूचित क्षेत्र एक मौसम के दौरान फसल को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णित बीमा की इकाई है।

। बीमा की इकाई का निर्धारण इकाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पर निर्भर करेगा। **मुख्य फसलों के लिए, बीमा इकाई सामान्यत: ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर होगी और गौण फसलों के लिए एक उच्चतर स्तर** पर होगी ताकि फसल कटाई प्रयोगों की आवश्यक संख्या अधिसूचित फसल मौसम के दौरान संचालित की जा सके। यदि राज्य चाहे तो गौण फसलों के मामले में बीमा इकाई के रुप में ग्राम/ग्राम पंचायत को अधिसूचित कर सकता है ।

7. **कवर किए जाने वाले किसान:** मौसम के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, जो फसलो पर बीमा हित रखते हैं,इसके पात्र होंगे ।

7.1 **अनिवार्य कवरेज:**योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के किसान पात्र होगे जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती पर बीमा हित रखते हो:-

7.1.1 अधिसूचित क्षेत्र में वे किसान जिनके पास फसल ऋण खाता/केसीसी खाता (जिन्हें ऋणी किसान कहा जाता है) है जिसके लिए फसल मौसम के दौरान अधिसूचित फसल हेतु ऋण सीमा स्वीकृत नवीकृत की गई है।

और

7.1.2 ऐसे अन्य किसान जिन्हें सरकार समय समय पर शामिल करने के लिए निर्णय ले सकती है।

7.2 **स्वैच्छिककवरेज:** जिनकी ऋण सीमा का नवीकरण नहीं किया गया है वे कृषि केसीसी / कृषि ऋण खाताधारकों सहित, जो उपरोक्त 7.1 में कवर नहीं हुए, सभी किसान स्वैच्छिक कवरेज प्राप्त कर सकते हैं |

8. **शामिल किए जाने वाले जोखिम एवं अपवर्जन :**

8.1 **जोखिम:** योजना के अंतर्गत फसल नुकसान के प्रमुख निम्नलिखित जोखिम शामिल किए गये हैं:

8.1.1 **उपज नुकसान (खड़ी फसलें, अधिसूचित क्षेत्र आधार पर):** गैर - निवार्य जोखिमों के कारण उपज नुकसानों को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा उपलब्ध कराया जाता है जैसे:

i. प्राकृतिक आग एवं बिजली
ii. तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर , आंधी , झंझावात , टौरनेडो इत्यादि।
iii. बाढ़, जलप्लावन और भूस्खलन
iv. अकाल , अभाव काल

v. कीट/ रोग इत्यादि

8.1.2 निवार्य **बुआई (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर):** उन मामलों में, जहां एक अधिसूचित क्षेत्रो के अधिकतर बीमित किसान बुआई/रोपाई के उद्देश्य से तथा इस उद्देश्य के लिए व्यय करते हैं , विपरीत मौसम की स्थिति के कारण बीमित फसल की बुआई/रोपाई से वंचित होने पर, वह बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति दावों के लिए पात्र होंगे।

8.1.3 **फसल कटाई उपरांत नुकसान (व्यक्तिगत फार्म के आधार पर):**देश भर में फसल कटाई उपरांत नुकसान के लिए कवरेज उन फसलों के लिए उपलब्ध है जो फसल कटाई से 14 दिन की अधिकतम अवधि तक चक्रवात/ चक्रवाती बारिश एवं बेमौसम बारिश के विशेष खतरों के विरूद्ध कटाई के उपरांत खेत में कटाईएवं फैलाव''की अवस्था में सूखाने के लिए रखी जाती है।

8.1.4 **स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत फार्म के आधार पर) :**चिन्हित स्थानीय जोखिम अर्थात् ओलावृष्टि, भूस्खलन,और जलभराव के परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान/क्षति अधिसूचित क्षेत्र में पृथक फार्म को प्रभावित करता है

8.2 **अपवर्जन:** निम्नलिखित खतरों के कारण होने वाले नुकसानों एवं जोखिमों को शामिल नहीं किया जाएगा:-

युद्ध एवं इस प्रकार के खतरे, परमाणु जोखिम, दंगे, विद्वेषपूर्ण नुकसान, चोरी, दुश्मनी कार्यवाई, घरेलु एवं जंगली पशुओं द्वारा चराई गई और/या नष्ट की गई, फसल कटाई उपरांत नुकसान के मामले में, काटकर बंडल बनाई हुई फसल तथा थ्रेसिंग से पहले एक जगह ढेर बनाकर रखी गई फसल, अन्य निवार्य जोखिम |

बंडल बनाई गई और थ्रेसिंग से पूर्व एक स्थान पर ढेर लगाई गई संचित की गई फसल और फसल पश्चात नुकसानों के मामले में, अन्य रक्षात्मक जोखिम।

9. बीमा **राशि/कवरेज की सीमा:**

अनिवार्य घटक के अंतर्गत ऋणी किसानों के मामले में, बीमा राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा उस फसल के लिए निर्धारित वित्त-मान के समान होगी जिससे बीमित किसान विकल्प पर बीमित फसल की थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। जहां थ्रेशोल्ड उपज का मूल्य वित्त-मान की अपेक्षा कम है, उच्चतर राशि बीमित राशि होगी। चालू वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ राष्ट्रीय थ्रेशोल्ड उपज को गुणा करते हुए कुल बीमित राशि की गणना की जाएगी । जहां भी वर्तमान वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) उपलब्ध नहीं है, वहां पिछले वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अपनाया जाएगा। वह फसलें, जिनका न्यूनतम न्युनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित नहीं किया गया है उनके लिए विपणन विभाग/बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया फार्म गेट मूल्य अपनाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ऋणी किसानों के मामले में, किसानों द्वारा देय बीमा प्रभार बैंक के ऋण संवितरण कार्यालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, और ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु वित्त-मान के लिए अतिरिक्त घटक के रूप में समझा जाएगा।

स्वैच्छिक आधार पर कवर किए गए किसानों के लिए बीमा राशि बीमित फसल की थ्रेशोल्ड उपज अर्थात थ्रेशोल्ड उपज X (न्यूनतम समर्थन मूल्य या गेट मूल्य) का मूल्य होती है।

10. **प्रीमियम दरें:**

10.1 बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) कार्यान्वितएजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रभारित की जाएगी। डीएसी एवं एफडब्लू/राज्य **नुकसान लागत** (एलसी) के आधार पर विचार करते हुए प्रीमियम दरों की निगरानी करेंगे अर्थात **पिछले 10 समान प्रकार के फसल मौसमों (खरीफ/रबी)** के दौरान अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र (इकाई क्षेत्र का स्तर जो भी हो) में अधिसूचित फसल के मामले में बीमा राशि के प्रतिशत के रूप में दावा राशि और पूंजी लागत एवं बीमाकर्ता लाभ सहित प्रबंधन की दिशा में व्यय के

लिए अतिरिक्त प्रभार देंगे और गैर-पैरामीट्रिक जोखिमों और बीमा इकाई आकार में कमी आदि का ध्यान में रखते हुए किसानो द्वारा देय बीमा प्रभार की दर निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:

क्र. सं.	**मौसम**	**फसल**	**किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)**
1	खरीफ	खाद्य और तिलहन फसलें (सभी अनाज, बाजरा, तिलहन और दालें)	बीमांकिक दर या बीमित राशि का 2.0 %, जो भी कम हो
2	रबी	सभी फसल (सभी अनाज, बाजरा, तिलहन और दालें)	बीमांकिक दर या बीमित राशि का 1.5 %, जो भी कम हो
3	खरीफ एवं रबी	वार्षिक वाणिज्यिक एवं वार्षिक बागवानी फसलें	बीमांकिक दर या बीमित राशि का 5%, जो भी कम हो

10.2 किसानों द्वारा देय बीमा प्रभार की दर और प्रीमियम दर के बीच अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर के रूप में समझा जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

10.3 एआईसी राज्यो की आवश्यकता के अनुसार खरीफ फसल के लिए फरवरी माह में और रबी फसल के लिए अगस्त माह में नवीनतम उपलब्ध उपज आंकड़ो के आधार पर एलसी प्रीमियम दरों (जब तक एक स्वतंत्र एजेंसी/टीएसयू कार्यभार नहीं संभालती) की गणना करेगा | और प्रीमियम बोली के लिए आमंत्रण से पूर्व डीएसी/संबंधित राज्यों को प्रदान करेगा |

10.4 राज्य सरकार मौसम के लिए राज्य द्वारा दर्शाए गए अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में क्षतिपूर्ति स्तर,थ्रेशोल्ड उपज, बीमित राशि इत्यादि के अधिसूचित फसलों के लिए अपनी बीमांकित प्रीमियम दरें प्रस्तुत करने के लिए सभी पैनलबद्ध बीमा कंपनियों को आमंत्रित करेगी।

10.5 अधिकतम प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) का चयन कलस्टर दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से किया जा सकता है जिसके अंतर्गत जोखिम के सन्दर्भ में लगभग 15-20 अच्छे एवं खराब जिलों/क्षेत्रों के समूह की बोली लगाई जाएगी। इससे सहभागी बीमा कंपनियों के मध्य जोखिमों का समान वितरण होगा और कंपनियों की पसंद के अनुसार जिले/क्षेत्र का चयन से बचा जा सकेगा। इसी प्रकार छोटे राज्यों के मामलों में, पूरा राज्य एक कार्यान्वित एजेंसी को सौंपा जाएगा । यह भी आशा की जाती है कि उन जिलों का ध्यान रखा जाए जिनकी अधिक जोखिम के कारण फसलों के बीमांकिक प्रीमियम परम्परागत रूप से अधिक थे। कार्यान्वित एजेंसी का चयन कम से कम 3 वर्ष के लिए किया जाएगा ।

10.6 बोली में सहभागी नामित /पैनलबद्ध कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई और अधिसूचित की जाने वाली सभी फसलों के लिए प्रीमियम दरों की बोली लगानी होगी और इसका अनुपालन नहीं करने वाली कंपनी की बोली रद्द कर दी जाएगी।

10.7 किसानों की संख्या एवं हेक्टेयर आयु/क्षेत्रफल के विषय में बीमा कवरेज कम से कम पिछले वर्ष के स्तर के समान होना चाहिए।

11. **जोखिम साझाकरण :**

कार्यान्वित एजेंसी और सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से जोखिम का साझा किया जाएगा:

कृषि फसल मौसम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संगणित प्राकृतिक आपदा हानियों के मामले में बीमा कम्पनियों की देयता की **एकत्रित प्रीमियम का 350 प्रतिशत (किसान का शेयर और सरकारी राजसहायता) या, सभी बीमा कम्पनियों की संयुक्त कुल बीमित राशि का 35 प्रतिशत, जो भी अधिक हो,तक होगी। कृषि फसल मौसम में राष्ट्रीय स्तर पर हानियों को इस उच्चतम सीमा से परे केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों के समान योगदान (अर्थात: 50:50 के आधार पर) द्वारा पूरा किया जाएगा ।**

12. **फसल उपज का आकलन :**

राज्यों/संघ शासित प्रदेश फसल उपज निर्धारण के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में सभी अधिसूचित फसलों के लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) को करने की योजना एवं संचालन करेगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश फसल उत्पादन आकलन और फसल बीमा दोनों के लिए फसल कटाई प्रयोगों और परिणामस्वरूप उपज आंकलनों की एकल शृंखला ।बनाए रखेगी |

फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) नीचे दिए गए अनुसार, एक सलाईडिंग पैमाने पर प्रति इकाई/प्रति फसल संचालित किए जाएंगे:

क्र.सं.	**बीमा इकाई**	**किए जाने हेतु आवश्यक फसल कटाई प्रयोग(सीसीई) की न्युनतम संख्या**
1	जिला	**24**
2	तालुका/तहसील/ब्लॉक	**16**
3	मण्डल/हौबली/फिरका/राजस्व सर्कल	**10**
4	ग्राम/ग्राम पंचायत/पटवार- मण्डल/पटवार-हलका	**मुख्य फसलों के लिए 4, अन्य फसलों के लिए 8**

तथापि, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई), राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) और कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रतिनिधि शामिल एक तकनीकी सलहाकार समिति (टीएसी) फसल कटाई प्रयोगो और अन्य सभी तकनीकी मामलों से संबंधित मुद्दों का निपटान/निर्णय करेगी। फसल कटाई प्रयोगों के नमूना आकार सही बनाने में रिमोट सेंसिंग तकनीक /उपग्रह चित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

<u>उपज-डाटा की गुणवत्ता में सुधार एवं समयबद्धता के लिए मोबाईल फोन प्रौद्योगिकी का उपयोग</u>

यह महसूस किया गया है कि वर्तमान में उपज आकलन के लिए संचालित फसल कटाई प्रयोगों की प्रक्रिया की विश्वसनीयता और गति में कमी आई है जिनका प्रभाव दावों के

निपटान पर पड़ता है। अत: अच्छी गुणवत्ता, समयबद्धता और विश्वसनीय उपज डाटा की आवश्यकता है। इस समस्या से निपटने के लिए, विभिन्न चरणों में फसल विकास की वीडियो / लिए गए चित्र और एक वास्तविक समय के आधार पर फसल कटाई प्रयोग के आँकड़े के साथ ट्रांसमिशन, जीपीएस टाइम स्टैम्पिंग सहित मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग, आँकड़े की गुणवत्ता / समयबद्धता में सुधार कर सकते हैं और समय पर दावा प्रक्रिया एवं भुगतान का समर्थन कर सकते हैं | इस उद्देश्य के लिए राज्य और बीमा कंपनियां इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगी |

फसल कटाई प्रयोगों के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी आदि के उपयोग की लागत केन्द्र सरकार और राज्य/संघशासितक्षेत्र की सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन की जायेगी, जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, तो यह हस्त चालित उपकरणों/स्मार्ट फोन की खरीद की उपयुक्त लागत और अन्य संबधित लागतों के आधार पर इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कुल निधियों की सीमा के अधीन होगी ।

13. क्षतिपूर्ति स्तर (आईएल) और थ्रेशोल्ड उपज (टी वाई)

13.1 क्षेत्रों में फसल जोखिम के लिए क्षतिपूर्ति 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के अनुरूप तीन स्तरों में सभी फसलों के लिए उपलब्ध होगा।

13.2 थ्रेशोल्ड उपज (टीवाई) बेंचमार्क उपज स्तर होगा जिसमें बीमाइकाई में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी ।

13.3 फसल के लिए बीमा इकाई में थ्रेशोल्ड उपज घोषित दो आपदा वर्षों को छोड़कर (यदि हो) पिछले सात वर्षों की औसत उपज एवं क्षतिपूर्ति स्तर के गुणांक पर आधारित होगी |

$$\text{थ्रेशोल्ड उपज} = \frac{[\text{पिछले 7 वर्ष(दो अधिसूचित आपदा वर्षो को छोडकर)केउपज}]}{5-7 \ \text{(जैसा भी मामला हो)}} \times \text{क्षतिपूर्ति स्तर}$$

14. गतिविधियों की सूची:

कवरेज के लिए समय सीमा, उपज आंकड़ो की प्रस्तुति, मूल्य डाटा आदि का निर्णय राज्य स्तरीय फसल बीमा समंवय समिति (एसएलसीसीआई)द्वारा मानसून, बुवाई अवधि, फसल चक्र आदि को ध्यान में रखते हुए सख्ती से किया जायेगा।

मौसमीय संबंधी अनुशासन ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए समान होंगे। ऋणी और गैर-ऋणी किसानों दोनों के लिए अन्तिम तिथि समान है। कृषि जलवायु परिस्थितियों, वर्षा वितरण/सिंचाई जल उपलब्धताओं, बुआई के तरीके आदि को देखते हुए एसएलसीसीसीआई बीमा कंपनियों के परामर्श से कवरेज की मौसमी संबंधी अनुशासन और अन्य कार्यकलाप/कार्यकलाप को इस तरह से निर्धारि त करेंगी,ताकि विपरीत चयन या नैतिक संकट कोऔर बढ़ावा न मिले | विस्तृत मौसमीय संबंधीअनुशासन निम्नलिखित चार्ट में दी गई है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा मौसमीय कार्यकलापका राज्यवार ब्यौरा डीएसी एंडएफडब्लू द्वारा जारी प्रचालनात्मक दिशानिर्देश में उपलब्ध कराया जाएगा।

क्र.सं.	**गतिविधियां**	**खरीफ**	**रबी**
1	भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्देश जारी करना	फरवरी	अगस्त
2	फसलों की अधिसूचना और अधिसूचित क्षेत्र, बीमा राशि की सीमा और क्षतिपूर्ति के स्तर को अपनाने आदि के लिए एमएलसी सीसीआई बैठक का संचालन करना		
3	अनिवार्य आधार पर कवर किए गए ऋणी किसानों के लिए ऋण लेने की अवधि (स्वीकृत ऋण)	अप्रैल से जुलाई	अक्टूबर से दिसंबर
4	किसानों(ऋणी एवं गैर-ऋणी) के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख	31 जुलाई	31 दिसंबर
5	बैंक शाखाओं से लेकर संबंधित नोडल	ऋणी किसानों के	ऋणी किसानों के लिए

	कार्यालयों से अनिवार्य आधार पर कवर किए गए ऋणी किसानों एवं स्वैच्छिक आधार पर कवर किए गए गैर-ऋणी किसानों से घोषणा पत्र की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख।	लिए अंतिम तारीख के पश्चात 15 कार्य दिवस के भीतर और गैर-ऋणी किसानों के लिए 7 कार्य दिवस के भीतर	अंतिम तारीख के पश्चात 15 कार्य दिवस के भीतर और गैर-ऋणी किसानों के लिए 7 कार्य दिवस के भीतर
6	बीमा कंपनियों के लिए नियुक्त बीमा एजेंटों से स्वैच्छिक आधार पर कवर किए जाने के लिए किसानों की घोषणा की प्राप्ति की अंतिम तारीख।	घोषणा/प्रीमियम की प्राप्ति के दो कार्य दिवस के भीतर	घोषणा/प्रीमियम की प्राप्ति के दो कार्य दिवस के भीतर
7	बैंकों के संबंधित नोडल कार्यालयों से लेकर बीमा कंपनियों से अनिवार्य आधार पर कवर किए गए ऋणी किसानों एवं स्वैच्छिक आधार पर कवर किए गए गैर-ऋणी किसानों से घोषणा पत्र की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख।	बैंकों के संबंधित नोडल कार्यालयों द्वारा घोषणा की प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर	बैंकों के संबंधित नोडल कार्यालयों द्वारा घोषणा की प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर
8	उपज आंकड़ो की प्राप्ति की अंतिम तारीख	अंतिम कटाई से एक माह के भीतर	अंतिम कटाई से एक माह के भीतर

15. दावों के आकलन , प्रसंस्करण और अनुमोदन की प्रक्रिया

15.1 अधसूचित क्षेत्रीय स्तर पर उपज की क्षति: निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश से उपज आकड़े प्राप्त होने पश्चात दावों का मूल्यांकन,अनुमोदन एवं निपटान कार्यान्वित एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।

15.1.1 बीमित मौसम में निश्चित क्षेत्र [फसल कटाई प्रयोगों (CCEs) की अपेक्षित संख्या के आधार पर] के लिए बीमित फसल की वास्तविक उपज (एवाई) प्रति हैक्टेयर निर्धारित 'थ्रेशोल्ड उपज' (टीवाई) से कम आने पर सभी बीमित किसानों जो उस फसल का उत्पादन करते हैं, को निश्चित क्षेत्र में उस फसल के उपज की कमी समझा जाएगा।

15.1.2 इस योजना में बीमा इकाई के सभी बीमित किसान को आकस्मिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है |

15.1.3उपज क्षतियों पर आधारित दावों का भुगतान निम्नलिखित सूत्रीकरण से परिगणित किया जाएगा।

$$\text{दावो का मूल्यांकन} = \frac{\text{उपज में कमी}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

जहाँ,

उपज में कमी =,(थ्रेशोल्ड उपज-वास्तविक उपज))

15.2 निवार्य बुआई का आकलन : प्रतिकूल मौसम की स्थिति अधिसूचना में परिभाषित की जाएगी और जिलों में अधिसूचित मौसम केन्द्रों द्वारा अधिकृत होगी | इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित मौसम केन्द्रों पर दर्ज किए गये मौसम के आंकड़ों के आधार पर देय दावों का भुगतान करने का निर्णय लिया जायेगा| भुगतान का फसलवार पैमाने बीमित राशि का 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कार्यान्वित एजेंसी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित/समूह के लिए संदर्भित मौसम केन्द्र के माध्यम से मूल्यांकित निर्दिष्ट अवधि के दौरान सकल वर्षा में माहवार कमी जैसी पूर्व-घोषितअनुमानित घटना के तत्वाधान पर अधिसूचित भुगतान सारणी पर आधारित किया जाएगा।भुगतान के पश्चात् अधिसूचित क्षेत्रों में उन फसलो के लिए बीमा आवरण समाप्त कर दिया जायेगा | चिन्हित वर्षासिंचित क्षेत्र और फसलों के लिए खरीफ मौसम के दौरान कवर उपलब्ध है। एसएलसीसीसीआई द्वारा आंकड़ा प्रदाता अधिसूचित किया जाएगा।

15.3 **स्थानीय आपदा हानि आकलन :**15.3.1

स्थानीय जोखिम जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की स्थिति में नुकसान का आकलन और क्षति पूर्ति प्रक्रिया प्रभावित क्षेत्रों या प्रभावित गांवों में दावों का निपटान,यदि कोई हो, प्रत्येक क्षतिग्रस्त खेत के मूल्यांकन के आधार पर बीमित किसानो को किया जायेगा ।

15.3.2जिला प्रशासन क्षति की सीमा के आकलन में कार्यान्वित एजेंसी की सहायता करेगा।

15.4 फसल कटाई उपरांत नुकसान आकलन:

15.4.1 फसल कटाई उपरांत नुकसान की स्थिति में नुकसान का आकलन और क्षति पूर्ति प्रक्रिया प्रभावित क्षेत्रों या प्रभावित गांवों में दावों का निपटान, यदि कोई हो, प्रत्येक क्षतिग्रस्त खेत के मूल्यांकन के आधार पर बीमित किसानो को किया जायेगा ।

15.4.2 जिलाप्रशासन हानि की सीमा का आकलन में कार्यान्वित एजेंसी की सहायता करेगा।

15.5 मध्य-मौसम आपदा के कारण दावों का ऑन एकाउन्ट/लेखागत अदायगी :

15.5.1 फसल मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों जैसे बाढ, लम्बे समय के लिए सूखा, अत्यधिक सूखा, बैमौसम वर्षाके मामले में कृषि मौसम संबंधी आंकड़ो/उपग्रह चित्र या कोई अन्य प्रोक्सी संकेतक पर आधारित संबंधित राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेश के साथ परामर्श से कार्यान्वित एजेंसी फसलों/क्षेत्रों के बारे में निर्णय लेगा जो दावों, संभावित दावों के 25% से अधिक नहीं, लेखागत अदायगी करेगा |

15.5.2 मध्य-मौसम प्रतिकूल स्थितियों का मूल्याकन और लेखागत अदायगी की मात्रा का निर्धारण भारत सरकार/ संबंधित राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश और कार्यान्वित एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा ।

15.5.3

लेखागत अदायगी केवल उन जिलों / अधिसूचित क्षेत्रों में लागू की जाएगी, जहां ऐसे प्रॉक्सी संकेतक स्थापित किए जा सकते हैं और जहां भुगतान के लिए विचार किया जायेगा | यह केवल तभी किया जायेगा जब मौसम के दौरान वांछित उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत कम हो।

15.6 कार्यान्वित एजेंसी उपर्युक्त उल्लिखित प्रणाली के अनुसार आंकलित दावों की देयता को संसाधित करेगी और दावों के भुगतान के लिए अनुमोदन करेगी|

16. दावों के निपटान की प्रक्रिया:

16.1 **बैंकों के माध्यम से कवरेज**:- दावे की राशि ब्यौरे के साथ अलग से व्यक्तिगत नोडल बैंको द्वारा जारीकी जाएगी । बैंक आधारभूत स्तर पर व्यक्तिगत किसानों के खातो में जमा करेगा और उनके नोटिस बोर्ड पर लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित करेगा ।बैंक

कार्यान्वयन एजेंसी को व्यक्तिगत किसान वार जमा दावा राशि का ब्यौरा प्रदान करेगा और इसे केन्द्रीयकृत डेटा संग्रह में शामिल किया जाएगा।

16.2 **अन्य बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से कवरेज के लिए**: दावे की राशि व्यक्तिगत बीमित बैंक खातों में इलेक्ट्रोनिक रुप से जारी की जायेगी।

<u>रकबा विसंगति</u>

विगत में कुछ क्षेत्रों से लगाए गए रकबे की तुलना में अत्यधिक बीमा कवरेज की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके कारण 'अधिक' बीमा हो सके । आदर्श रूप में इस विसंगति को सही बीमा कवरेज के फार्म स्तर पर चलाना चाहिए जिससे कि सही बीमा कवरेज वाले किसानों के हित की रक्षा हो सके। तथापि, जीआईएस प्लेटफार्म पर डिजीटाइज भूमि रिकार्डों के अभाव में, वास्तविक रूप में प्रत्येक फार्म को सत्यापित करना बहुत कठिन होगा। कुछ समय के लिए, इसका समाधान निम्न के अनुसार किया जाये:-

- जहां कहीं 'रकबा विसंगति' की संभावना है,बीमा इकाई स्तर पर बीमित रकबे की तुलना विगत 3 वर्षों के औसत रोपित रकबे से की जाएगी, तथा इस अंतर को 'अतिरिक्त' बीमा कवरेज के रूप में माना जाएगा।

- बीमित राशि 3 वर्षों के वास्तविक रोपित क्षेत्रफल के औसत के अनुपात में कम की जाये जो दिए गए फसल हेतू बीमित क्षेत्रफल के लिए होता है।

- दावों की गणना कम की गई बीमित राशि के आधार पर की जाएगी।

- बीमा कंपनी द्वारा कम की गई बीमित राशि के भाग के लिए प्रीमियम को यथावत रखा जाएगा।

यदि एक बार व्यक्तिगत फार्म (प्लॉट/सर्वे संख्या) को डिजीटाइज कर दिया जाता है तथा इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाता है, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग से फसल को कवर तथा प्रत्येक खेत में फसल के लायक क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सकता है| जिससे व्यक्तिगत फार्म स्तर पर रकबा विसंगति का पता चलेगा|

17. **योजना का प्रबंधन और समीक्षा:**

17.1 भारत सरकार द्वारा प्रचालनात्मक दिशानिर्देश और मार्गदर्शिका जारी किये जायेंगे, जिसकी समय समय पर समीक्षा होगी|जिससे इस योजना में शामिल विभिन्न एजेसिंयों की विस्तृत चरण और शामिल प्रक्रिया के साथ योजना के प्रावधानों के लिए लागू नियम एवं शर्तो और अन्य संबंधित हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी का निष्पादन होगा।

17.2 इन प्रचालनात्मक मार्गदर्शिका को योजना का हिस्सा माना जायेगा।

17.3 योजना की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी और उसके प्रावधानों में आवश्यक रूप से परिवर्धन, अपमार्जन तथा आशोधन किया जायेगा।

17.4 प्रत्येक फसल मौसम के दौरान, कार्यान्वयन राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में कृषि कीस्थिति पर बारीकी से निगरानी की जाएगी। राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के कृषि विभाग और जिला प्रशासन एक जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की स्थापना करेगी, जो बुआई क्षेत्र का ब्यौरा, मौसमीय जलवायु स्थिति, कीटो का हमला ,फसल के नष्ट होने की स्थिति (यदि हो) आदि के साथ कृषि संबंधी स्थिति की पाक्षिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

17.5 योजना के संचालन की वार्षिक रूप से समीक्षा की जायेगी और आवश्यकतानुसार इसमें आशोधन/संशोधन किया जायेगा। योजना की आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट कृषि मंत्रालय भारत सरकार/कार्यान्वित एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी |

18. प्रचार एवं जागरूकता :

18.1 अधिसूचित जिलों/ क्षेत्रों के सभी गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। एसएमएस मैसेज , लघुफिल्म और डाक्यूमैन्ट्री सहित प्रदर्शनी, किसान मेले, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के सभी संभावित साधन का उपयोग योजना के कार्यान्वयन में शामिल कृषकों और एजेंसियों के बीच योजना की जागरूकता, लाभ एवं सीमाओं के सृजन तथा प्रसार के लिए किया जाएगा | कार्यान्वित एजेंसी के परामर्श से

राज्य के कृषि/सहकारिता विभाग कवरेज अवधि की शुरुआत से तीन माह पूर्व पर्याप्त जागरूकता एवं प्रचार के लिए उचित योजना तैयार करेंगे |

18.2 कार्यान्वित एजेंसी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण में राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता करेगी और विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं / जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगी |

19 सेवा कर :

19.1 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, एनएआईएस/ एमएनएआईएस की एक प्रतिस्थापन योजना है , अत: योजना के कार्यान्वयन मे शामिल सभी सेवाओं की सेवा कर देयता से छूट दी है है |

20. अभिनव प्रौद्योगिकी का उपयोग

कृषि एवं सहकारिता विभाग विभिन्न राज्य/संघशासित प्रदेशों, राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों/संस्थानों, आईएमडी, बीमा कम्पनियों,पुनर्बीमा आदि के सहयोग से रिमोट सेंसिंग, हवाई दृश्यों, सेटेलाईट आदि जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चयनित क्षेत्रों में पायलट ले जाएगा , जो कम श्रमशक्ति एवं आधारिक संरचना के साथ क्षेत्रफल के आकलन , फसल स्वास्थ्य/नुकसान आकलन , शीघ्र उपज आकलन आदि में सहायता कर सके । पृथ्वी की कक्ष में परिक्रमा करते हुए अधिक स्पष्ट चित्रों वाले अत्यधिक संख्या में सैटेलाइट के विकास से, सैटेलाइट इमेजरी उत्पादों में बहुत अधिक सुधार हुआ है । यह उचित रूप से प्रमाणित हुआ है कि सैटेलाइट इमेजरी से फसल स्वास्थ्य के आधार पर फसलित क्षेत्रों को कलस्टर में सीमांकित करने में सहायता मिल सकती है। इस सुविधा का उपयोग बीमा इकाई (आइयू) में फसल कटाई प्रयोगों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है । इस प्रकार सैटेलाइट इमेजरी से फसल कटाई प्रयोगों के **'स्मार्ट सेम्पलिंग'** में सहायता मिल सकती है। जबकि बीमा इकाई के विविध प्रकार के फसल स्वास्थ्य के लिए फसल कटाई प्रयोगों के मानक

नमूनों की आवश्यकता पड़ सकती है, उदहारण प्रति गांव/गांव पंचायत के मुख्य फसलों के लिए 4 फसल कटाई प्रयोग, अधिकतम सामान बीमा ईकाई के लिए कमतर नमूनों के आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे 2 फसल कटाई प्रयोग कह सकते हैं | इससे लगभग 30-40 प्रतिशत तक कुल फसल कटाई प्रयोगों को कम करने की उम्मीद की जाती है। राज्यों को उपज आकलन तैयार करने के लिए इस तकनीक को प्रभावी रूप से अपनाना चाहिए ।

फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से रिमोट सेंसिंग तकनीक/सैटेलाइट इमेजरी के परिणामों तथा उपज आकलन के बीच सिद्ध सशक्त सहसंबंध के बाद राज्य बीमा इकाई स्तर पर फसल उपज के आकलन में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, जो दावों के भुगतान के लिए उपज आकलन की सटीकता के साथ केंद्र और राज्य सरकारों तथा बीमा कंपनियों की संतुष्टि के साथ होगी |

20.1 कैमरा/स्मार्टफोन के साथ जीपीआरएस युक्त मोबाइल फोन के उपयोग द्वारा फसल कटाई प्रयोगों की परिशुद्धता सत्यापित की जाएगी । ऐसे फोन खड़ी फसलों के चित्रों को लेकर क्षेत्रफल संबंधित विसंगितयों के समाधान में भी सहायक होंगे। इसके अलावा उपज के सटीक और शीघ्र आकलन में भी सहायक होंगे |

20.2 प्रायोगिक कार्यक्रमों के परिणामों पर विचार करने के पश्चात ऐसी प्रौद्योगिकियों को सरकार द्वारा योजना में शामिल किया जाएगा |

20.3 सभी राज्य सरकारे प्रौद्योगिकी पहल का फसल कटाई प्रयोगों के निरीक्षण के लिए उपयोग करेंगे ताकि न्यूनतम विलम्ब के साथ उपज आंकड़े कार्यान्वयन एजेंसी को प्रदान की जा सके, जिससे दावों का शीघ्र निपटान हो सके। राज्य सरकारें ऑन-अकाउंट दावा निपटान, स्थानीय आपदाओं के दावा सूचना तथा फसल उपरांत हानि के लिए क्षति की रिपोर्ट की रिपोर्टिंग में अभिनव प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी ।

20.4 केन्द्रीकृत कोष का रख-रखाव किया जायेगा, एनआईसी द्वारा उपयुक्त अनुप्रयोग (वेब आधारित, एप आधारित आदि) विकसित किया जायेगा। जिससे राज्य सरकार,कार्यान्वयन एजेंसी, बैंक, बीमा मध्यवर्ती संस्थाएं इस एप्लिकेशन का उपयोग करके विभिन्नपरिचालन डेटा जैसे अधिसूचना संबंधी आंकड़ा, व्यक्तिगत किसान-वार बीमा कवरेज तथा दावों के विवरण, फसल क्षति के विवरण आदि को प्राप्त कर सके।

21. योजना की समीक्षा

राज्य सरकार एक वर्ष के पश्चात् योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेगी तथा योजना के प्रावधानों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो सुधार हेतु भारत सरकार को रेखांकित करेगी ।